

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

July - 9248 - PBR-16

प्रकरण क्रं.

/पी.वी.आर./2016/

प्रिष्ट क्रमहरूका (क्रमहरू)

911-16

489

सादिक अली (फोत) वारिसान

- 1. साबिर अली खान
- 2. आसिफ अली खान
- 3. जावेद अली खान
- 4. फारूख अली खान
- 5. शांकिर अली खान
- 6. शर्मिला अली
- सकीना खान
  समस्त पुत्रगण एवं पुत्रीगण स्व. श्री
  सादिक अली खां निवासीगण हकीमत
  अनवर खां साहब की बिगया, चीनी
  कारखाने के सामने आमखो रोडव कम्पू
  लश्कर ग्वालियर हाल रामाजी का पुरा
  कटीघाटी ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर

विखद्ध

- मो. सुलेमान खां पुत्र स्व. श्री मो. याकूब खान निवासी-न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना
- 2. एम.पी. एज्यूकेशन सोसायटी जर्ये सचिव भरत झंवर पुत्र दामोदरदास झंवर निवासी-सराफा बाजार ग्वालियर
- 3. मुन्नी बेगम पत्नी मो. जब्बार खां निवासी हकीम जी की बिगया आमखो लश्कर ग्वालियर (फॉर्मल रेस्पोन्डेन्ट)
- 4. साबिर अली खां पुत्र सादिक अली खान निवासी-रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

.....आवेदकगण

प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी प्रकरण को पुनः नंबर पर लिए जाने बाबत ।

श्रीमान जी,

आवेदकगणों का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है :-1. यहकि, आवेदकगणों का निगरानी प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.2016 को नियत था जिसका निगरानी प्रकरण क्रं. 2070-पी.वी.आर./2011/निगरानी है ।

क्रमशः....2

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

95)

प्रकरण कमांक रेस्टोरेशन ज का काक

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रेस्टोरेशन पीबीआर/2016 कार्यवाही तथा आदेश जिला ग्वालियर

ति के हरताक्षर

15-12-16

से श्री पीताम्बतशर्मा ओर आवेदक की अधिवक्ता उपरिथत । अनावेदक कमांक 2 की ओर से श्री विवेक श्रीवास्तव अभिभाषक उपरिथत । तर्क सने गये आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 3-11-16 को प्रकरण कॉज लिस्ट में दर्ज नहीं था. इस कारण न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी भाग नहीं ले सके । अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक द्वारा विरोध में कहा गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा पेशी नोट की गई है इसलिये कॉजलिस्ट में प्रकरण दर्ज नहीं होने का आधार आवेदक के अभिभाषक नहीं ले सकते हैं और न ही इसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा समयाविध में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुपरिथति का कारण मान्य करते हुये मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

Order

अध्यक्ष